Seventeenth Loksabha

>

Title: Request the government to fill the seats of SC, ST and OBC category in jobs and education.

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं आज आपसे एक मिनट एक्स्ट्रा समय मांगती हूं।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान देश के एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लाखों बेरोजगार नौजवानों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। मैं दुख के साथ कहना चाहूंगी कि केन्द्र और राज्य सरकार के अधीन लाखों सरकारी पद आरक्षण के अनुपात में विगत कई वर्षों से खाली पड़े हैं। मेरी सरकार से मांग है कि विशेष अभियान चलाकर इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। पिछले दिनों हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों में विभागानुसार पद निकाले गए हैं, जिनमें आरक्षण को लागू नहीं किया गया है। अगर इन विभागों के पदों को एक साथ समूह में निकाला जाए तो आरक्षण लागू हो सकेगा और एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

अध्यक्ष जी, एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के जो योग्य छात्र हैं, जिनकी मेरिट सामान्य वर्ग में आती है, उन्हें आरक्षण की सीमाओं में बांधकर न रखा जाए। मेरी सरकार से मांग है कि उन योग्य छात्रों का सामान्य वर्ग के अवसर प्रदान किए जाएं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण में जो क्रीमी लेयर की बाध्यता है, उसे समाप्त किया जाए। एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से 49.5 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है और सामान्य वर्ग के लोगों को 50.5 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। मेरी सरकार से मांग है कि 2020 में जातिगत जनगणना कराकर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को लागू किया जाए।

साथ ही, मैं आपसे मांग करती हूं कि जिन विभागों का निजीकरण किया गया है, वहां भी आरक्षण को लागू किया जाए। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई है, जिसमें इन वर्गों के लोगों की

एक भी नियुक्ति नहीं की गई है, जो बेहद दुखद है। न्यायपालिका, राज्य सभा, विधान परिषद में इन वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है और इन वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व भी बहुत कम संख्या में है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं मांग करती हूं कि वहां भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए।

अध्यक्ष जी, एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति और प्रतिपूर्ति मानक के अनुसार नहीं दी जा रही है, उसे भी तत्काल मानक के अनुसार प्रदान किया जाए।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्रीमती करुणानिधि कनिमोझी, श्री मलूक नागर, श्री रितेश पाण्डेय और श्री गिरीश चन्द्र को श्रीमती संगीता आजाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।